

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

२५/११

यह आदेश पत्र जाधोबाज की ओर से लिखे अधिवक्ता श्री दीपक शर्मा के अनुरोध द्वारा ९ दिनांक १५/११/१८ को पेश किया गया जिस पर दिनांक ११/११/१८ को कार्यालय रिपोर्ट लेकर दून पत्रपाली दिनांक २३/११/१८ को पेश हुई जाधोबाज को रजिस्टार हो जाधोबाज के अधिवक्ता को पत्र सुनी गई। वही आदेश दिनांक २३/११/१८ को पेश हो।

Bhann
12/4/19

उपखण्ड अधिकारी
जमशेरपुर

२३/५/१९

पत्रावली पेश हुई श्रील
आपने उपस्थित राजकाज में
व्यस्त होने के कारण आदेश नहीं
सुनाया गया। पत्रपाली प्रकृतिसार
आदेश दिनांक १२/५/१९ को पेश
हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमशेरपुर

२६/११

पत्रावली पेश हुई श्रील आपने
उपस्थित जाधोबाज पर बहस सुन
एक माह से अधिक का हो चुका
है इसलिए प्रकरण में सुना
बहस सुनी वही आदेश
दिनांक १९/६/१९ को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमशेरपुर

३/६/१९

पत्रावली पेश हुई श्रील आपने
उपस्थित श्रील आपने ने अपनी
बहस में प्रस्तुत जाधोबाज पत्र में
अंकित तथ्यों की ताईद करते
हुए कथन किया कि अन्त वाद
पत्र दिनांक ३/७/१९ को प्रस्तुत किया
जिसमें नोटिस/तलबना प्रस्तुत किया

उपखण्ड अधिकारी
जमशेरपुर

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही
		<p>श्री। माननीय न्यायालय द्वारा जारी गयी ऐसे अन्त प्रकरण की पत्रावली दिनांक 19/06/2018 को न्याय आदर के द्वारा कम्प मायासूल में प्रस्तुत हुई जिसके निमित्त वादी को कोई नोडिफा जारी नहीं हुए।</p> <p>अन्त प्रकरण में वादी के द्वारा निपुक्त अधिवक्ता श्री दीपक कुमार के द्वारा वादी के माता के द्वारा पत्र दिनांकित 11/6/18 को प्रेषित किया अन्त प्रकरण में वादी पिछले काफी समय से अधिवक्ता के सम्पर्क नहीं रहे। वास्तविकता यह है कि वादी राजा हरिप्रसाद जी का अर्जवाला 4/12/17 को ही इसके निमित्त पर ही वापस। जिसकी सूचना वादी के अधिवक्ता को नहीं थी। दिनांक 13/9/18 को वकील तैसमकर सिपा ता जागकारी मिली कि अन्त प्रकरण को दिनांक 19/6/18 को OGRS CPC में शपथित किया गया। केला प्रपोज OGRS CPC को स्वीकार कर वाद को मुद्रा अन्त पर शिप जादो इष्ट के सम्पूर्ण में निम्न नजरि पेश की। 2015 (3) Civil Court Cases 067 (AM) ANDHRA PRADESH High Court Page No-67, 2017 (3) Civil Court Cases 728 (A&M) Page No-720- 2015 (2) Civil Court Cases 421 (P&M) Page No-421, 2016 (SUPPL) Civil Court Cases 738 Page No-738</p>		

AM

फर्द अहकाम

राजा हरिहर बनाम रमणी य कल

दालय

ख्या 46/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>वकील जाफर की वकालत में पत्रादली का प्रवर्धन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रमाण में बाकी हरा नोटीस प्रेषित नहीं किया। न्याय काफर हार हुम्पो की सुनना साक्षात् पत्रों के माहपा से भी ही गई थी व पश्कारो को नोटीस जारी किए बापे वाड को 09RS 04 के तहत खारिज किया है 09RS 04 के तहत पारित निर्णय की कपीलीप प्रवधान है। इसीलिए प्रथमा पत्र 09R9 व 14/04 को खारिज किया जाता है। प्रथम साक्ष न्यायालय में कपील करें।</p> <p>पत्रादली फेरल शुमार होकर गम्बर से कर हो वाड खति खारिज इफर को</p> <p>निर्णय शुमापा राजा</p>	

उपखण्ड
जमवारामगढ़

